



रक्षा मंत्रालय

वीरता पुरस्कार विजेताओं की विधवाओं के लिए मौद्रिक भत्ते

Posted On: 21 NOV 2017 10:13AM by PIB Delhi

वीरता पुरस्कार के प्राप्तकर्ता रक्षा मंत्रालय के 1972 के पत्र, जिसे रक्षा मंत्रालय के 1995 के पत्र द्वारा अधिष्ठित किया गया और जिसमें समय समय पर संशोधन होता रहा है, के अनुसार मौद्रिक भत्तों के हकदार हैं। मौद्रिक भत्ते के अनुदान के लिए वर्तमान शर्त के अनुसार, भत्ता पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के लिए स्वीकार्य होगा और उसकी मौत के बाद उसकी वैध विधवा के लिए स्वीकार्य होगा। उसकी विधवा को यह भत्ता उसके पुनर्विवाह या उसकी मौत तक जारी रहेगा। बहरहाल, भत्ते का भुगतान किसी विधवा को उस स्थिति में जारी रहेगा अगर वह अपने मृतक पति के भाई से पुनर्विवाह करती है और पारिवारिक पेंशन के लिए जीवित उत्तराधिकारी के साथ सार्वजनिक जीवन व्यतीत करती है।

मौद्रिक भत्ते के जारी रहने के लिए दिवंगत पति के भाई से पुनर्विवाह विवाह करने की शर्त को हटाने के लिए विभिन्न तबकों से प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए थे।

भारत सरकार ने इस मुद्दे पर विचार किया और अब सरकार ने रक्षा मंत्रालय के पत्र दिनांक 16 नवंबर, 2017 के माध्यम से मौद्रिक भत्ते के जारी रहने के लिए दिवंगत पति के भाई से पुनर्विवाह विवाह करने की शर्त को हटा देने का निर्णय किया है।

वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के लिए मौद्रिक भत्तों के अनुदान की संशोधित शर्त निम्नलिखित है:-

भत्ता वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ता को और उसकी मृत्यु के बाद कानूनी तरीके से एक वैध समारोह द्वारा विवाहित उसकी विधवा को प्राप्त होगा। उसकी विधवा को उसकी मौत तक भत्ता प्राप्त होता रहेगा।

वीके/एसजे-5539

(Release ID: 1510394) Visitor Counter : 5

